

सेवा में,

श्रीमान् उपखण्ड अधिकारी महोदय,

छबड़ा (राज.)

विषय :- अधिसूचना अनुसार बैंक का नाम परिवर्तित किये जाने बाबत।

महोदय,

उपरोक्त विषय के क्रम में निवेदन है कि भारत सरकार द्वारा फरवरी 2017 को जारी अधिसूचना के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर का विलय भारतीय स्टेट बैंक में किया गया है।

अधिसूचना के अनुसरण में प्रार्थी वत्साला पिता कल्लो के नाम पटवार मण्डल खोपर के राजस्व ग्राम बापडीबोडा में वर्तमान रोटेशन जमाबन्दी के खाता संख्या 30 पर स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर शाखा कोटड़ी के नाम रहन दर्ज रेकॉर्ड हैं, जिसे अधिसूचना अनुसार भारतीय स्टेट बैंक शाखा कोटड़ी दर्ज करवाने की कृपा करावे।

दिनांक 27/9/2025

हस्ताक्षर प्रार्थी

रिपोर्ट पटवार हल्का खोपर तहसील छबड़ा (राज.)

महोदय,

भारत सरकार द्वारा फरवरी 2017 को जारी अधिसूचना के अनुसार स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर का विलय भारतीय स्टेट बैंक में कर दिये जाने से प्रस्तावित संशोधन किया जाना उचित है।

भू-अभिलेख निरीक्षक

पटवार हल्का खोपर

कार्यालय तहसीलदार छबड़ा जिला बारां (राज.)

क्रमांक: राजस्व / 2025 /

दिनांक / / 2025

मूल ही प्रार्थना पत्र श्रीमान् शिविर प्रभारी महोदय को प्रेषित कर निवेदन है कि रिपोर्ट पटवारी एवं भू-अभिलेख निरीक्षक अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर के बजाय भारतीय स्टेट बैंक किया जाना उचित है।

तहसीलदार छबड़ा  
जिला बारां (राज.)  
तहसील छबड़ा जिला बारां (राज.)

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी छबड़ा (राज.)

क्रमांक: राजस्व / 2025 / 170/25

27.9.25  
दिनांक / / 2025

हस्त रिपोर्ट तहसीलदार छबड़ा के राजस्व रेकॉर्ड में संशोधन की स्वीकृति दी जाती है। पटवारी हल्का खोपर राजस्व रिकॉर्ड में उक्त संशोधन की कार्यवाही कर पालना रिपोर्ट प्रस्तुत करें।

उपखण्ड अधिकारी छबड़ा  
जिला बारां (राज.)